संख्या–2908/14–2–2017–800(12)/2017

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक दिसम्बर, 2017**

विषय :– जनपद कन्नौज में छिबरामऊ–सौरिख–बिधूना मार्ग (एम.डी.आर.–13) किमी0 0.000 से 33.100 तक 4 लेन चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 21.6 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1554 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–08बी/यू.पी./06/32/2017/एफसी/589 दिनांक 14.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–1474/कन्नौज/22835/2016, दिनांक 01.12.2017 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 01.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित सूचनाएं संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–2908(1)/14–2–2017–तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter